


6230 Sa Ch 99000

6131

10



झारखण्ड JHARKHAND



विश्वनाथ अधिनियम 21 तथा योजनांकित
कार्यकारी अधिनियम 1908 को धारा 46 के
अधीन एवं न्यायिक अधिनियम 1899 में
अनुच्छेद 1 में... के अधीन
यथा संज्ञित...

25

Fumar गुलाबी राम हस्ताक्षर
लिपिक लो. न-15, 2003
मेदिनीनगर (पलामू)

20/11/2018

2.5
10.24
3.49

1. लेख्यकारी का नाम एवं पूरा पता:-

पूर्णमा महथा पति स्व० सचिदानन्द प्रसाद सिन्हा जाति
कायस्थ, स्थायी निवास ग्राम जेलहाता गंगा स्टोर के पास,
पो० एवं थाना मेदिनीनगर, वर्तमान पता:-निवास
स्थान-ग्राम एवं डाकघर-चैनपुर, थाना-चैनपुर, जिला-पलामू
, राज्य-झारखण्ड, पेशा-खेती एवं गृहणी, नागरीकता-भारतीय।
आधार नं० 337914571052. पैन नं० AFBPM0895H.



पूर्णमा महथा गंगा जोलार
मध्य झारखण्ड प्रमुख पाकर
मैला गुरुदा का स्टाड मॉच डी.व्हा.मीन
क्रीक किमा 1 लो सही बावधा
06AA 447699

Handwritten signature or mark.

पदचान कता
सुसदान स्वापिला
(च:रसुलखाजामुहदा
आजाचन्द्र प्रियापजाम
10/11/18

10.11.2018

2564
7.11.018

गीता देवी जी 100 विनाद राम 618 इयाक वाठ किठ लानेहार



31 JUL 2018

7.11.018

राज्य कद्रजाय विधि
प्रांशक दिक्ता, मेदिनीनगर
पद्याय नः 2. 2/88



सं. प्रणिमा महया

20.11.2018

गुलाबी राम दस्तावेज
दि. नं. ला. न-15, 2003
मेदिनीनगर (पलामु)



20/11/18 ताक

श्री प्रणिमा महया
पिता/पति सविधानंद झा
थाना जिला
जाति पेशा
ने दस्तावेज निबंधन के कार्यालय में उपस्थित

निबंधक कुमार 20.11.18

2. लेख्यधारी का नाम एवं पूरा पता:-

श्रीमती गीता देवी पति स्व० विनोद राम
जाति-अनुसूचित जाति(चमार), निवास स्थान ग्राम-ईचाक
पोस्ट कुरा थाना-~~लातेहार~~ जिला- ~~लातेहार~~, पेशा-~~खेती~~
एवं गृहणी, राज्य-झारखण्ड -नागरीकता -भारतीय।

आधार नं० 678728204134, पैन-BLMPD1705M.

3. लेख्यप्रकार-केवाला वयला कलामी(निर्विवाद
विक्रय पत्र)

4. (क) सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य- मो०
4,40,500/रु० (चार लाख चालिस हजार
रूपया) मात्र।

(ख) देय मूल्य मो० 9,90,000/रु० (नौ लाख
नब्बे हजार रूपया) मात्र।

आवासीय दर-मो० 80100 रूपये प्रति डी०

5. सम्पत्ति-मवाजी 0 - 05 $\frac{1}{2}$ डी० (पाँच पुर्णाक एक बट्टा दो
डी०) डी० जमीन परती टाँड़ खाली जमीन वास्ते गृह
निर्माण के लिए भूखण्ड भूमि अन्दर वाके मौजा गुरहा, थाना
चैनपुर, जिला पलामू में हकियत कास्त रैयती मौरुषी सौहरी
हक हासिल है । जिसपर कम्पम एवं काबिज दाखिल चली
आ रही है। डिमांड बिक्रेता के नाम से पेज नं० 108/2 में
चल रहा है तथा ऑनलाईन में वर्तमान भाग दो पृष्ठ सं० 93
अंकित है।

सं० मूर्तिमा प्रहारा

19.11.2018

सं० सुनील कुमार प्रहारा
राष्ट्रिय नैपिन लिगट

19-11-18

वार्षिक लगान- अनुमानित मोबलिंग 5/- पांच रुपये
अलावे शेष।

नाम मालिक-झारखण्ड सरकार बजरीय अंचल
पदाधिकारी ,चैनपुर, जिला पलामू

विदित हो कि लेख्यकारी की जमीन अंदर बांके मौजा
गुरहा थाना चैनपुर जिला पलामू में हकियत रैयती मौरुषी
सौहरी हक हासिल है। जो आपसी बंटवारा से बंटकर बिक्रता
को मिला है जिसपर काबिज दाखिल चली आ रही है।

यह जायदायद पूर्व सर्वे खतियान में पूर्वज स्व० गनौरि
लाल के नाम से खतियान दर्ज है। बिक्रेता इन्हीं के वंशज में
बहू है जिसे अपने सौहर स्व० सचिदानन्द प्रसाद सिन्हा कि
मृत्यु के पश्चात अपने गोतिया में हिस्सेदारों से बंटकर अकेला
हिस्सा में प्राप्त है जिसका संकेत बंटवारा नक्शा में सी० हिस्से
की जमीन को हरा रंग से दिखलाया गया है जिसे आपसी
बंटवारा में खाता नं० 7 प्लॉट नं० 151 को 151/सी रकबा
99 डी० और प्लॉट नं० 220 का 220/सी रकबा 32 डी०
कुल रकबा 1-31 डी० एक एकड़ एकतीस डी० जमीन प्राप्त
है। जबकि खाता नं० 7 में प्लॉट नं० 151 का पूरा रकबा
2-97 डी० प्लॉट नं० 200 का पूरा रकबा 96 डी० दर्ज है।
जो कुल रकबा तीन एकड़ तीरानबे डी० का एक बट्टा तीसरा
हिस्सा बिक्रेता की हिस्से की है। जिसका मांग पंजी दो में
डिमाण्ड अंचल पदाधिकारी चैनपुर द्वारा प्लॉट नं० 151/सी
और प्लॉट नं० 151/200 दर्ज कर डिमाण्ड खोला गया है।
तथा इसी तरह राजस्व रसीद भी बिक्रेता प्राप्त करते आ रहे
है। बंटवारा तीन खण्डों में ए,बी,सी, करके किया गया है।
जिसका याददास्त बंटवारा 25.05.1996 ई० है। बंटवारा नक्शा
में खण्ड ए लाल रंग अशोक कुमार सिन्हा खण्ड बी नारंगी
रंग केदार लाल खण्ड सी रंग हरा पुर्णिमा महथा को
दिखलाया गया है। जिस पर सभी हिस्सेदारों का हस्ताक्षर
किया हुआ है।

रत० पुर्णिमा महथा

19.11.2018

चुंकि इस वक्त लेख्यकारी को रूपयें का सख्त जरूरी वास्ते बनाने पक्का का मकान आवासीये का है। जिसमें अधिक रूपयों की आवश्यकता है, जो बिना बिक्री किये उपरोक्त वर्णित भूमि के रूपयों का खास अपना जेब या अन्य जरीया द्वारा प्रबन्ध कर पाना नामूमकीन है।

लिहाजा लेख्यकारी ने ~~उपरोक्त वर्णित भूमि~~ को बिक्री के लिए प्रचार वो प्रसार किया तो खाना नं0 2 दो वसिका हाजा की क्रेता भवन निर्माण कर रहने के लिए सभी तरह से सुविधाओं को देखते हुए निरीक्षण करने के पश्चात पसन्द कर दोनों पक्षों में खरीद बिक्री का मूल्य मोबलिंग 9,90,000 /रु0 (नौ लाख नब्बे हजार रूपये) में तय पाया और इसी मूल्य पर खरीद बिक्री का मामला तय भी हो चुका जो वाजीब और अधिकतम मूल्य होता है और न दीगर ही सख्स इससे अधिक मूल्य दे सकता है।

इसलिए खाना सं0 पांच की वर्णित भूमि को उचित और अधिकतम मूल्य देखते हुए बिक्री किया एवं केवाला बिक्रय पत्र लिखा तथा सभी तरह के कुल अधिकार जो कुछ था या आइन्दे होता सो सब समेत आज से ही क्रेता तथा इनके वारीसान को ज्यों का त्यों हस्तान्तरित किया। अब इसमें किसी प्रकार का कोई उजुर दावी बिक्रेता या इनके किसी भी अपना या अन्य वारीसान को नहीं है न आइन्दे रहा। अगर भविष्य में होगा भी तो इस बिक्रय पत्र दस्तावेज के सामने सरासर नाजयाज और गलत साबित होगा।

अब क्रेता को चाहिए कि उपरोक्त सम्पति पर खुदमय वारीसान काबिज दाखिल रहकर जिस कदर हो मकान निर्माण करें स्वयं रहे या किराये पर लगावे या कूप- इनारा तालाब बनावें या बाग बागीचा लगावें याने जैसे भी हो जिस कदर हो

सं. पू. वि. म. बा. पू. म.

19.11.2018

टंकक:-रोहित श्रीवास्तव

Rohit Srivastava



गीता देवी

गुलाबी राम दस्तावेज
लिपिक ला. न -15, 2003
मेदिनीनगर (पलामू)



सूचना अदालत

19.11.2018

प्रमाणित किया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति जिनका छाया चित्र दस्तावेज में लगा है के बांये हाथ के अंगुलियों का निसान मेरे सामने लिया गया है। *गीता देवी गुलाबी राम दस्तावेज ला0न0 15/03*
कातिब *गुलाबी राम दस्तावेज* ला0न0 15/2003 मोकाम मेदिनीनगर जिला पलामू केवाला का मजमून टंकण कराया वो पढ़ कर दोनो पक्षों का सुना वो समझा दिया बोले ठीक है यह केवाला बिक्रय पत्र लेख्यकारी के कहने पर लिखा। *13 नवंबर*

19-11-2018